न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 59/2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/107

अनवान

1. सुल्तानसिंह आत्मज दिनेशसिंह बड़वा निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मंसूरी, राजेन्द्र कुमार बलाई – वादी अधिवक्ता
2. प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 04.09.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सिंहपुरा पटवार हल्का गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में दिनेश आत्मत मिश्रीलाल बड़वा व अन्य के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 132, 433, 434, 459, 464, 465, 466, 467, 468, 469 कुल किता 10 कुल रकबा 1.99 है0 भूमि खाता संख्या 107 पर दर्ज होकर स्थित थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2064–2067 प्रस्तुत की है। खातेदार दिनेश आत्मज मिश्रीलाल व धापुबाई बेवा मिश्रीलाल व धापुबाई बेवा मिश्रीलाल बड़वा का स्वर्गवास हो गया। दिनेश व धापु बाई की मृत्यु पश्चात् उनकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 53 पटवारी हल्का द्वारा मृतक खातेदार दिनेश व बाई के वारिसान मे मुझे वादी का नाम शांतिलाल आत्मज दिनेश जी बडवा नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक मामा राधेश्याम नि.सगरेव अंकित किया गया जिसे दिनाक 8/1/2008 को राजस्व अभियान 2008 मे तहसीलदार साहब रायपुर स्वीकृत किया गया। मृतक बातेदार दिनेश की मृत्यु के समय सुल्तानसिंह आत्मज दिनेशसिंह जी बडवा वारिसान था लेकिन पटवारी हल्का द्वारा दिनेश व धापू बाई का नामान्तरकरण भरते समय वादी सुल्तानसिंह के बजाय शांतिलाल के नाम से अंकित करते हुए उसे फैसल किया गया है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजी रेकार्ड में नाम सुल्तानसिह आत्मज दिनेशसिंह जी बडवा ही अंकित है तथा वादी के किसी भी दस्तावेज में नाम शांतिलाल आत्मज दिनेश जी अंकित नही है। प्रमाण में वादी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, व ग्राम पंचायत गलवा द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रतिया साथ

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

प्रस्तुत है। ग्राम सिंहपुरा में शांतिलाल आत्मज दिनेश जी बडवा व सुल्तानसिंह आत्मज दिनेशसिंह जी बडवा नाम का मैं ही हूँ। वादी के मुल दस्तावेज राजस्व रेकार्ड में भिन्न दस्तावेजात मे वादी का नाम सुल्तानसिंह आत्मज दिनेशसिंह जी बडवा ही दर्ज है लेकिन राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम शांतिलाल आत्मज दिनेश जी बडवा के नाम से दर्ज है। जिससे वादी को भारी कठिनाईयो एवं दिक्कतो का सामना करना पडता है तथा वादी को अपने हिस्से की कृषि भुमियो को विकसित करने एवं कृषि सम्बन्धी लाभ, अनुदान जो सरकार द्वारा जारी किये जाते है नाम अलग अलग दर्ज होने से उनको प्राप्त करने से वंचित रह जाता हूं। जिससे राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम शान्तिलाल आत्मज दिनेश के बजाय सुल्तानसिंह आत्मज दिनेशसिंह की दर्ज करने की घोषणा करवाई जाना आवश्यक एवं न्यायोचित होने से वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम सिंहपुरा पटवार हल्का गलवा तहसील रायपुर में वर्तमान राजस्व खाता संख्या 42 में अंकित आराजी संख्या 132, 433, 434, 459, 464, 465, 466, 467, 468 कुल किता 9 कुल रकबा 1.70 है0 भूमि में खातेदार शान्तिलाल आत्मज दिनेश बड़वा के बजाय सुल्तानसिंह आत्मज दिनेशसिंह बड़वा अंकित कराया जावें।

2. प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

3. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम सिंहपुरा पटवार हल्का गलवा के वादी सुल्तानसिंह पिता दिनेशसिंह बड़वा की ग्राम सिंहपुरा की जमाबन्दी में संवत 2076–2079 के खाता संख्या 42 व 253 में खसरा संख्या 132, 433, 434, 459, 464, 465, 466, 467, 468, 469 में वादी का नाम नाबालिग शान्तिलाल पुत्र दिनेश संरक्षक सरपररस्त मामा राधेश्याम जाति बड़वा सा.सगरेव दर्ज रेकार्ड है। उक्त खातों में अंकित खातेदार नाबालिग शान्तिलाल पिता दिनेश बड़वा व सुल्तानसिंह पिता दिनेशसिंह बड़वा उक्त दोनों नाम का एक ही व्यक्ति है। तथा सुल्तानसिंह पिता दिनेशसिंह बड़वा को ही शान्तिलाल पिता दिनेशसिंह बताया गया है।

4. प्रकरण में तनकीयात कायम की गई जो निम्न है –

   1. आया वादी वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित अराजियात खाता संख्या 107 में दर्ज रेकार्ड थी जो वर्तमान में खाता संख्या 42 में अंकित कुल किता 9 कुल रकबा 1.10 है0 दर्ज है मेंवादी का नाम शान्तिलाल आत्मज दिनेश बड़वा के बजाय सुल्तानसिंह आत्मज दिनेश सिंह बड़वा दर्ज करने की इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिक्री जारी करवाने के अधिकारी है। जिम्मे वादी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

5. वादी ने साक्ष्यवादी में स्वयं का शपथ पत्र पर बया न प्रस्तुत किये गये एवं सहखातेदार रतनकंवर पत्नि डुंगरसिंह बड़वा के शपथ पत्र पर बयान कराये गये। ग्राम पंचायत गलवा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। वादपत्र में संलग्न रेकार्ड प्रदर्श कराये जो निम्न है–

क्र.स.	प्रदर्शित दस्तावेज विवरण	प्रदर्श संख्या
1	नामान्तकरण की नकल	प्रदर्श–1
2	जमाबन्दी खाता संख्या 107 व 108 व 42	प्रदर्श–2 व 3 व 4
3	आधारकार्ड, पेनकार्ड की फोटोप्रति,	प्रदर्श–ए5 व ए6
4	ग्राम पंचायत गलवा का प्रमाण पत्र	प्रदर्श–7
5	जमाबन्दी खाता संख्या 253	प्रदर्श–8

6. प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी के मुल दस्तावेज राजस्व रेकार्ड में भिन्न दस्तावेजात से अपने हिस्से की कृषि भुमियो को विकसित करने एवं कृषि सम्बन्धी लाभ, अनुदान से वादी वंचित रह जाता है। अतः वादी का नाम शान्तिलाल आत्मज दिनेश के बजाय सुल्तानसिंह आत्मज दिनेशसिंह बड़ाा किया जाना है।

7. तनकीवार निर्णय :–

आया वादी वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित अराजियात खाता संख्या 107 में दर्ज रेकार्ड थी जो वर्तमान में खाता संख्या 42 में अंकित कुल किता 9 कुल रकबा 1.10 है0 दर्ज है मेंवादी का नाम शान्तिलाल आत्मज दिनेश बड़वा के बजाय सुल्तानसिंह आत्मज दिनेश सिंह बड़वा दर्ज करने की इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिक्री जारी करवाने के अधिकारी है। जिम्मे वादी

इस तनकी को साबिक कराने का भार वादी पर था। वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में स्वयं के शपथ पत्र पर बयान कराये गये। सहखातेदार रतनकंवर पत्नि डुंगरसिंह बड़वा के शपथ पत्र पर बयान कराये गये। वादी द्वारा नामान्तरण की प्रति, जमाबन्दी खाता संख्या 107 व 108 व 42 की प्रति, आधारकार्ड, पेनकार्ड की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत गलवा का प्रमाण पत्र, जमाबन्दी खाता संख्या 253 की प्रति प्रस्तुत की गई है। वादी द्वारा उक्त समस्त दस्तावेजात को प्रदर्श कराया गया जो प्रदर्श 1 से 8 है। उपरोक्त प्रमाण में आधार पर वादी द्वारा वाद को साबित कराया गया है जिससे इस तनकी का निर्णय बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी किया जाता है।

8. न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि वादी का नाम शान्तिलाल बोलता नाम है। तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट के अनुसार शान्तिलाल व सुल्तानसिंह एक ही नाम है। वादी ने शपथ पत्र स्वयं का प्रस्तुत किया गया एवं सह खातेदार का प्रस्तुत किया गया है जिससे भी स्पष्ट होता है कि वादी

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) रायपुर

सुल्तानसिंह व शान्तिलाल एक ही नाम है। मौके पर उक्त वर्णित भूमि को वादी द्वारा ही काश्त की जा रही है। वादपत्र में केवल खाता संख्या 42 में इन्द्राज दुरस्ती मांगी है जबकि न्यायालय स्वतः संज्ञान से खाता संख्या 253 में दुरस्त सीपीसी 151 के प्रयोग से किया जाना उचित मानता है। ऐसी स्थिति में दोनो नाम एक ही व्यक्ति का होने को ध्यान में रखते हुए वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सिंहपुरा पटवार हल्का गलवा के बेरून हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या 42 में अंकित आराजी संख्या 132, 433, 434, 459, 464, 465, 466, 467, 468 कुल किता 9 कुल रकबा 1.70 है0 भूमि में एवं खाता संख्या 253 में अंकित आराजी संख्या 469 रकबा 0.29 हैव भूमि में खातेदार शान्तिलाल आत्मज दिनेश बड़वा के बजाय सुल्तानसिंह आत्मज दिनेशसिंह बड़वा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिकी जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा पीठासीन

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 59 / 2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 107

अनवान

1. सुल्तानसिंह आत्मज दिनेशसिंह बड़वा निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 04.09.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सिंहपुरा पटवार हल्का गलवा के बेरून हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या 42 में अंकित आराजी संख्या 132, 433, 434, 459, 464, 465, 466, 467, 468 कुल किता 9 कुल रकबा 1.70 है0 भूमि में एवं खाता संख्या 253 में अंकित आराजी संख्या 469 रकबा 0.29 हैव भूमि में खातेदार शान्तिलाल आत्मज दिनेश बड़वा के बजाय सुल्तानसिंह आत्मज दिनेशसिंह बड़वा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 04.09.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा